बिहार विधान सभा वादवृत्त

शुक्रवार तिथि १४ अप्रिल १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटने में शुक्रवार तिथि १४ अप्रिल १९५० को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

गत अधिवेशन के अवशिष्ट प्रश्नों के उत्तर

The Answer of the pending questions from the last session.

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

माननीय अध्यक्ष ! गत अधिवेशन के रुके हुए १९५ प्रश्नों में से ९९ प्रश्नों का उत्तर मेज पर रखता हूँ।

खनिज पदार्थों का ठीका

८७। श्री सिदिऊ हेम्ब्रोम :

क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) सिंहभूमि जिला के माइनिंग विभाग की ओर से कौन-कौन खनिज पदार्थ का ठीका दिया जाता है ;

(ख) प्रत्येक खनिज पदार्थ का ठीका किसको दिया गया है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) पिछले दस वर्ष के अन्दर और इस साल माइनिंग विभाग ने किन ठीकेदारों को किन-किन पदार्थों के ठीके से एप्रूभल लिस्ट से काट दिया गया है और उनकी जगह पर किन नये ठीकेदारों को उन पदार्थों का ठीका दिया गया है;

(घ) क्या यह बात सही है कि १९४९ साल में मैंगानीज पदार्थ के पुराने ठीकेदार को हटा कर नये ठीकेदार को ठीका दिया गया ?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय :

(क) चीनी, मिट्टी, लोहा (कच्चा), मैंगनीज, एसबैस्टोस और केयानाइट।

(ख) और (ग) सरकार इसका प्रत्युत्तर, जो तात्कालिक प्रस्तुत न रहने के कारण, देने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए खेद प्रगट करती है। अलावे स्थानीय अफसरों द्वारा इसकी सूची तैयार करने में और परिश्रम करने के बाद भी,

बिहार डावरी रेसट्रेन्ट बिल, १९४८

[१९४८ का वि० स० १२]

The Bihar Dowry Restraint Bill, 1948

[Bill No. I2 of I948]

माननीय अध्यक्ष :

(श्री अमीन अहमद के प्रति) आप तो शुरू में ही इस पर काफी बहस कर चुके हैं और इस पर जितने सशोधन हैं प्राय: सब आप के ही हैं। इसलिए इस विधेयक पर आपको बोलने का काफी मौका मिलेगा।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, इस बिल के संशोधन के वक्त मैं इसके aims and objects पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी general बहस अभी तक खतम नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष :

जहां तक मुझे याद है आप अपनी बहस खत्म कर चुके थे । लेकिन जब आपको और बोलना है तो कम से कम बोलने की कोशिश करें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, इस वक्त इस बिल से दिलचस्पी रखने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। मेरा एतराज यह है कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिये भेजा जाय। इस House में जब यह बिल आया था उस समय इसमें यह provision था कि यह बिल सिर्फ हिन्दू धर्म मानने वाले के लिये होगा । लेकिन अब select committee ने तमाम लोगों के लिये इस बिल में कानून बना दिया। इसी वजह से मेरा यह एतराज पैदा होता है। अब इस बिल में जो principle रखा गया है उसके मुताबिक यह जरूरी हो गया है कि यह आम public के सामने जाय। अब तक यह था कि लड़के को Dowry दी जाती थी। लड़के की शादी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक लड़के को एक बहुत बड़ा रकम नहीं दिया जाय। लेकिन एक नई चीज इस बिल में रखी गई है और वह यह है कि लड़की को भी कुछ देना जुर्म करार कर दिया गया है। अब तक ऐसी शिकायत थी कि लड़के वाले शादी करने से इन्कार करते हैं जब तक उनको एक अच्छी रकम नहीं दी जाती है। यह तो औरतों की सुविधा के लिये यह बिल लाया गया था और इस House के एक lady member श्रीमती सुन्दरी देवी ने इसे लाया। मगर इस बिल में जैसा provision है उससे तो औरतों को नुकसान ही पहुंचेगा। अब तो लड़कियों को कुछ देना भी जुर्म है। clause 2 में है "Dowry means any thing paid or delevered as consideration of a contract of any betrothal in marriage and includes......

यानी marriage contract में किसी पार्टी की तरफ से २५०) से ज्यादा

देना offence समझा जायगा। जहां तक हिन्दू धर्म का सरोकार है। sec. 2 में है कि किसी चीज का देना चाहे शौहर, तो वह जुर्म करार कर दिया जायगा।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। आप यदि बिल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें voluntary marriage gifts की बात है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

Voluntary gifts लड़कों को हिन्दू society के लिये ठीक नहीं हो सकता है लेकिन मुस्लिम, क्रीस्तान या और और community के लिये यह apply नहीं करना चाहिये क्यों कि उनलोगों में तो शादी के पहले यह तय होना जरूरी है कि लड़की की परवस्ती के लिये कुछ होना चाहिये जो marriage settlement के अन्दर आ जाता है। मुसलमानों में तो marriage settlement एक जरूरी चीज है। इसमें लिखा है कि unless there is anything repayment in the subject or content "dowry" means any thing paid or delivered as consideration of a contract of any betrothal or marriage इस लिए जनाब सदर, मुसलमानों में दैनमुहर एक जरूरी चीज है इसके बिना marriage नहीं हो सकती है। दैनमुहर कम से कम ५ रुपया ज्यादे से ज्यादे कितना भी हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। दैनमुहर तो शादी के बाद होता है।

श्री सैयद अमीन अह द

जी नहीं। शादी के पहले देना होता है तब शादी होती है। लड़के को कहना पड़ता है कि लड़की के परवस्ती के लिये हम ५ रुपये से लेकर जितना भी हो दस हजार या एक लाख की नामदाद निकाल देते हैं।

माननीय अध्यक्ष :

इसमें है कि stridhan or any other religious obligations enjoined by the Hindu law or personal law applicable to the parties तो इसके मुताबिक दैनमुहर भी religious चीज है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

इस लिए इसको रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष :

अगर आप मुसलमानों पर इसे लागू होने देना नहीं चाहते हैं और अगर आपके समाज में इसकी जरूरत नहीं है तो सभा इस पर विचार करेगी।

श्री सैयद अमीन अहमद :

इसमें औरतों को बहुत नुकसान होगा फायदा के बदले। इसलिये हम नहीं समझते हैं कि member साहिबा इस पर क्यों जोर देती हैं। उनको तो औरतों के हक को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिये। इसमें तो औरतों को कुछ देने से रोका जाता है।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। आपका कहना सही है कि पहले लड़की के खाने पीने का इन्तजाम कर दिया जाय तब शादी हो।

श्री सैयद अमीन अहमद:

हमारा कहना है कि लड़की के लिये लड़का अपने औकात के मुताबिक उसके परवरिश के लिए शादी के पहले देनमुहर दे दे। यह religious obligation है देनमुहर में वह २५० रु० का जो चाहे दे सकता है।

माननीय अध्यक्ष:

तो आपका संशोधन है कि to the bridegroom or any personrelated to or representing the bridegroom."

श्री सैयद अमीन अहमद .

हमारे दोस्त इसमें औरतों के खिलाफ काम कर रहे हैं वे उनको बेकदर करना चाहते हैं।

तो जनाब सदर included में जो रखा है उसको देखिये। तिलक और छेंका को तो कहा गया है २५० अगर अब दहेज का लफ्ज जो आया है वह तो लड़के को नहीं, लड़की को मिलता है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

हमारे बारे में आपकी authority नहीं चलेगी।

श्री सैयद अमीन अहमद

खैर हम लोगों के यहां दहेज सिर्फ लड़की ही को मिलता है।

माननीय अध्यक्ष :

वह तो लिखा हुआ है — gift का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है।

श्री सैयद अमीन अहमद

उस तरह से तो हर चीज gift हो सकती है। जादेराह को भी शामिल किया है यह Persian word है और इसकी माने हैं Expenses of journey मगर इसको भी offence करार दिया जायगा। मुमकिन है कि बारात यहां से लखनऊ या दिल्ली जाय तो यह २५० रु० journey के expense के लिए किस तरह offence करार दिया जायगा। ऐसा अगर हो तो T.A. हमलोगों का

बन्द कर दिया जायगा। तो जनाबसदर इस तरह T. A. को offence करार देने से तो काम ही नहीं चलेगा।

मानननीय अध्यक्ष :

यहां तो लिखा हुआ है Dowry means anything paid or delivered as consideration of a contract फिर भी यह offence हो सकता है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

जी हां, तो मेरे दोस्त कहते हैं "And includes Dahez including Dwarpuja, Milan or Zadarah were the amount paid In cash or kind of both exceeds 251 " यानी इसके लिये consideration की जरूरत नहीं है। 250 से ज्यादा जादराह दिया कि मुजरीम हो गये। वाकई 250 की limit जादराह के लिये बिलकुल नामुनासिब है।

माननीय अध्यक्ष :

यह सब कहने की क्या जरूरत है ? अभी तो आप इस विधेयक को जनमत के लिए परिचारित करना चाहते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

तो हुजूर Solemnization of Marriage के पहले जो कुछ दिया जाय वह illegal हो जायगा मगर marriage के बाद voluntary gift दे सकते हैं। मुझको एतराज यही है कि यह कानून ऐसा बनाया जा रहा है कि इससे सूबे के लोग मुसीबत और मुश्किल में मुबतिला हो जायेंगे। २५० रुपये की limit आजकल के जमाने में बिलकुल non-sensical चीज है इसकी कोई हस्ती नहीं है। लड़की को बाप के तरफ से घर बसाने के लिये जिस जिस चीज की जरूरत है जैसे पलंग, चौकी, बिछावन, furniture वगैरह वगैरह यह सब दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष :

इस बिल को आप जनमत के लिए परिचारित करना चाहते हैं इस लिए प्रवर समिति (select committee) द्वारा किये गये परिवर्तनों पर ही आपको बोलना है। जिनके आधार पर आप जनमत जानना चाहते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद

२०० रु० Select committee ही ने Report किया है। तो मैं कहता हूं कि यह absurd figure है। २५० या २५१ रु० में घर का सामान कौन कर सकता है आज कल के जमाने में। एक married Couple के लिए इतने में separately settle करना बिलकुल नामुमकिन हो जाता है। हम चाहते हैं कि Mrs. सुन्दरी देवी खड़े हो कर हमको बतावें कि वाकई उनका इरादा यही है कि family life disrupt हो।

और एक मर्द और एक औरत एक मकान में अलग एक साथ रह कर आराम की जिन्दगी न बसर करें। अगर वाकई वह लड़कियों की मदद करना चाहती हैं तो जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लें। आगे की सारी तरमीमें मेरे उसी Principle पर हैं।

* श्री सैयद मजहर इमाम :

जनाब सद्र, Dowry Restraint Bill आपके सामने है इसमें दो तरह की चीजें हैं। हिन्दुओं में दहेज लड़की की तरफ से लड़के को दी जाती है। और मुसलमानों में लड़के की तरफ से लड़की को दी जाती है। मेरे दोस्त ने यह ठीक ही कहा है कि इस बिल से मुसलमानों को कोई सरोकार नहीं है। आपके यहां लड़की की तरफ से लड़के को दिया जाता है जिसको आप कम करना चाहते हैं तो यह ठीक है, इसको आप रोकें। यह clause मुसलमानों को नहीं apply करता है मगर गवर्नमेंट जब चाहे तो उसको लागू कर सकती है। इसलिये मेरा ख्याल है कि original Bill में जैसा है वही रखा जाय। अगर वह मुसलमानों को apply करे तो हम आपके साथ हैं मगर उनकी ख्वाहिश होने पर भी आप उन पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह अच्छा होगा कि इस Sub-clause को जिसको Select Committee ने omit कर दिया है उसको रहने दें जिसमें किसी किस्म का ambiguity नहीं रह जाय। इसमें लिखा हुआ है "The provision of this Act shall not apply to Muhammadans, Parsis, Christians and Jews." इसलिये मेरा कहना है कि इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है।

* श्री मुरली मनोहर प्रसाद :

अध्यक्ष महोदय, दो बात मैं सिर्फ इसके विषय में कह देना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि अगर मेरे मुसलमान भाई चाहते हैं कि यह बिल उनके रस्मोरिवाज पर apply न हो तो वे amendment ला सकते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि उन पर यह बिल लागू जाय अगर वे नहीं चाहते हैं। सरकार general power अपने हाथ में रखती है सामाजिक बुराई को रोकने के लिए। मुसलमानों में लड़के की तरफ से लड़की को दी जाती यह ठीक है मगर मजहर इमाम साहब को शायद मालूम नहीं है कि मुसलमानों में भी यह dowry का सिलसिला शुरू हो गया है और बढ़ता जाता है। इन्हीं बुराइयों को anticipate करके यह बिल लाया गया है। दैनमुहर का सिलसिला रहते हुए भी dowry का रिवाज बढ़ता जा रहा है। इसमें घबड़ाने की कोई बात नहीं है बल्कि मैं कहूँगा हमारे मुसलमान भाइ अगर ठंढे दिल से सोचेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसमें कोई चीज नाजायज नहीं है।

श्री सैयद मजहर इमाम :

म आपसे agree करता हूँ मगर जो जो अलफ़ाज इसमें हैं वह मुसलमानों को apply नहीं करता है अगर आप चाहें तो भी।

* माननीय सदस्य ने भाषण को संशोधित नहीं किया है।

श्री मुरली मनोहर प्रसाद :

तब तो आपको घबड़ाना ही नहीं चाहिये। Legislature जमाने की रफ्तार को देख कर कि दुनियां किस तरफ बढ़ रही है, और मुसलमानों में भी किस तरह dowry का सिलसिला जारी है, बिल लाया है। आप यदि चाहते हैं कि यह मुसलमानों को affect न करे तो आप amendments ला सकते हैं। अगर आप का ख्याल है कि १२ सौ वर्ष पीछे की बात आये तो यह आपकी खुशी पर है। मगर यह progressive mind के लिए ठीक नहीं है।

*** श्री बदरुद्दीन अहमद :**

अभी जो बहस हो रही है देखने से तो छोटी मालूम होती है मगर दरअसल ऐसी बात नहीं है। इस बिल को पढ़ने से पता चलता है कि society की खराबियों को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। मगर इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे कुछ societies में धक्का पहुंचता है।

जब तक कोई रोक नहीं किया जाय तब तक हमारे सोसाइटी में धब्बा लगा रहे हैं। यह धब्बा लगाना ठीक नहीं है। जैसा कि मुरली बाबू ने कहा है कि हिन्दू लोगों के देखा देखी मुसलमान भी एक किस्म से लड़के वाले को रुपया देते हैं, ये ठीक है। एक हद तक यह रस्म मुसलमानों में कायम हो चुकी है। यह कहना कि पूरे communiy पर एक provision govern करेगा। इसे मजहर इमाम साहब और अमीन साहब ने साफ तरीके से आपके सामने रख दिया है। मुसलमान, हिन्दू, क्रिश्चियन और जैन सब को distinguish कर दीजिये कि उनका मजहबी रिवाज क्या है। अगर ये provision रखा जायगा तो मुसलमानों के मजहबी रिवाज में एक किस्म का interference होगा। उनकी सोसाइटी में interference होगा। कानून हर चीजों को नजर में रखते हुए बनाया जाय। हमें कोई एखतला नहीं है। अगर सोसाइटी के ख्याल पर इसको रखा जाय। इसमें कोई ऐसी बातें हों कि रिवाज के इखतलाफ हो तो उसको remove कर दिया जाय। एक सिरे से इसका इन्कार कर देना बिलकुल ठीक नहीं है। इसमें पीछे गड़बड़ी पैदा होगी। यह हमारा मजहबी मामलात है। जो काम किया जाय सोच समझ कर किया जाय। हर पहलू को देख कर किया जाय ताकि हर शख्स को तशफ्फी हो जाय और किसी किस्म के interference का खदशा न हो। मैं इतना अर्ज करूंगा कि इसको पब्लिक opinion के लिये भेज दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष

आप इसे जनमत (public opinion) के लिये क्यों भेजना चाहते हैं?

श्री बदरुद्दीन अहमद :

इसलिये कि कोई खदशा बाकी न रहे।

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

ये point को explain कर देना चाहते हैं ताकि हमारे दोस्त को समझने में आसानी हो। अगर वे assurance दे दें तो मुसलमानों पर नाफीज नहीं किया जायगा तो हम इसको उठा लेंगे।

माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंह :

जनमत का प्रस्ताव जो लाया गया है, ये सिलेक्ट कमिटी में काफी बहस करने के बाद यह संशोधन इस हाउस में लाया गया है। इसमें सब मुसलमानों ने सिवाय एक मेंबर के अपनी रजामन्दी दी है। अभी उन्होंने जो मोशन लाया है वो जनमत से जानने के लिए मोशन लाया है। मैं कहता हूं कि बहुत दिनों से पब्लिक के सामने आ चुकी है और पब्लिक को इसकी खबर है। हमारा ख्याल है कि इस किस्म का जो मोशन आया है उसपर वोट ले लिया जाय। हम समझते हैं कि इस तरह का मोशन लाकर delay करने की कोशिश की जा रही है तो यह दूसरी बात है।

श्री मोहम्मद अब्दुल गनी :

मुझे भी एक लब्ज कहना है। माननीय अर्थ मंत्री ने जो फर्माया है कि कुल मुसलमान मेंबर की राय ले ली गई है, सिवाय एक मेंबर के जिनका assent नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली दफा जो consideration motion, house के सामने आया था तो यह साफ undertaking दे दिया था कि हमको यह Amendment क ल है कि मुसलमानों पर इस इसका इतलाख नहीं करें। मैं यह कह देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को इस section की कोई खबर नहीं है कि हमारे लायक दोस्त मि० अमीन अहमद साहब ने explain किया है। वह बिल्कुल ठीक है। हमारे यहां लड़के वाले को तिलक नहीं दिया जाता है, बल्कि before marriage जो contract होताहै, वह मजहबी रिवाज के मुताबिक होता है। इसमें किसी किस्म का interference नहीं होना चाहिए।

श्रीमती सुन्दरी देवी :

अध्यक्ष महोदय अमीन साहब ने हाउस के सामने जो मोशन जनमत जानने के हेतु प्रचारित करने के लिए उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करती हूँ। मैं यह कह देना चाहती हूं कि जब पहले पहल यह बिल हाउस में आया था तो उसे जनमत लाने के लिये भेजा गया था और उसके बाद सिलेक्ट कमिटी में गया और वहां से संशोधित रूप में आपके सामने यह बिल उपस्थित है इसलिए इसे जल्द पास करना ही उचित है।

इसके अलावे गनी साहब ने जो मुझ पर यह दोषारोपण किया है कि मैंने उन्हें वादा किया था कि यह बिल मुसलमानों पर लागू नहीं होगा यह गलत है। मैंने कभी ऐसा नही कहा था। यह तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह जिसपर

लागू करना चाहे करे। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसे पास करने में देर लगाना कितना अनुचित है।

श्री लतीफुर रहमान :

जनाब सदर, मैं अमीन अहमद साहब के इस मोशन का जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय को oppose करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस वक्त यह बिल सेलेक्ट कमिटी में भेजा गया था उस वक्त इसमें यह बात नहीं थी कि किसी दूसरे community के लिए भी यह apply करेगा। इस लिए हमलोगों ने इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया और न कोई amendment ही दिया। अब जब कि सिलेक्ट कमिटी से लौट कर यह बिल आया है तो यह मालूम होता है कि सरकार की ख्वाहिश है कि अगर जरूरत समझी जायगी तो दूसरे दूसरे community पर भी apply होगा। आप को मालूम है कि हर community का अपना अपना अलग रस्मरिवाज होता है। यह बात सही है कि हरेक community में जो रस्म रिवाज अभी है उसमें सुधार की जरूरत है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल था कि इस बिल को पास कर दिया जाय लेकिन इसका application केवल हिन्दू भाइयों पर ही हो। हो सकता है कि हम लोग खुद अपने मजहब के रस्म रिवाज के सुधार के लिए एक बिल लायें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मुझे अफसोस है कि हुकूमत मामूली २ चीज भी नहीं समझती है। आप इस कानून को हर्गिज मुसलमान, क्रिश्चियन, और जहूदियों पर नहीं ला सकते। हमारे दोस्त कहते हैं कि सिलेक्ट कमिटी में दो मुसलमान मेम्बर थे जिनमें एक श्री मती जहरा अहमद ने तो इसको कबूल नहीं किया और जैसा कि अभी हमारे दोस्त मजहर इमाम कह रहें हैं वे उस मिटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें यह discussion हुआ था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना गैरमुनासिब है कि आप मुसलमानों की मजहबी बातों में दखल दीजिए। यह तो constitution की Spirit के खिलाफ है जिसके मुताबिक हमको अपना culture और religion को preserve करने का हर हालत में अख्तियार हासिल है।

हमारे दोस्त मुरली बाबू ने बड़े जोर से यह कहा है कि अगर मुसलमान १२ सौ वर्ष पीछे रहना चाहते हैं तो रहें। मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों का जो मजहब है उसकी नकल आज तक दूसरे २ कर रहे हैं और आज भी हिन्दूकोड बिल में जो अख्तियार लड़कियों को दी जा रही है वह सिर्फ मुसलिम law की नकल है।

माननीय अध्यक्ष :

हिन्दूकोड के विषय में आप इस मौके पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अलावे इसके हिन्दूकोड बिल पर आपने जो बात अभी कही है उससे बहुतेरे सदस्य सहमत न होंगे। तो इस प्रकार उस झगड़े की बात का जिक्र करना असंगत और व्यर्थ है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मेरे दोस्त finance Minister साहब ने कहा है कि वे जनमत में भेजने के खिलाफ हैं इसलिये कि मेरा delaying tactics है। Government की तरफ से आप assurance दे दीजिये और हम यह motion withdraw कर लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष :

इस संशोधन पर हिन्दूकोड की बातें कहना मुनासिब नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद

मुनासिब कैसे नहीं है।

माननीय अध्यक्ष :

चूंकि यह असंगत (irrelevant) है। आगे चल कर इसी चीज को दुहराना नहीं होगा।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह तो आपके हाथ में है। अगर कह दीजियेगा तो हम चले जायंगे।

श्री मुरली मनोहर प्रसाद :

जनाब स्पीकर साहब, अभी अमीन साहब ने कहा कि हम चले जायंगे तो क्या इस तरह का disrespectful statement करके House के dignity नीचे गिराना चाहिए? यह disrespect to the chair है।

श्री धनराज शर्मा :

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मुरली बाबू के statement की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और आप से निवेदन करूंगा कि आप कुछ फैसला दें ताकि House का काम सुचारू रूप से चले।

माननीय अध्यक्ष :

मुरली बाबू का क्या कहना है?

श्री मुरली मनोहर प्रसाद :

जब आपने कहा कि आगे चलकर अगर श्री अमीन साहब अपने argument को दुहरायेंगे तो आप उन्हें बोलने नहीं दीजियेगा। तो इसी पर उन्होंने कहा कि हम चले जायंगे। क्या इस तरह के statement से House का dig-

nity नीचे नहीं गिरता है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैंने कहा था कि अगर आप कहियेगा तो चले जायंगे ।

श्री जगन्नाथ सिंह :

यह बहुत serious बात है और बरदाश्त के बाहर की बात है ।

श्री मुरली मनोहर प्रसाद :

He must withdraw with expression of regret.

मानीय अध्यक्ष :

मौलवी अमीन अहमद का ऐसा कहना अनुचित है । let this be the end of the matter and let us proceed.

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

जनाब सदर, महज मामूली बातों पर मेरे दोस्त tempest over the tea-pot create करते हैं । Islam as personal law पर मेरे दोस्त ने बहुत कुछ कहा है ।

माननीय अध्यक्ष :

उस बात पर आपको कुछ नहीं कहना है । आप सिर्फ संशोधन पर बोल सकते हैं ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

हुजूर tit for tat principle रहना चाहिए

माननीय अध्यक्ष :

मुझे अफसोस है कि आपको इस तरह की चीज अच्छी लगती है ।

माननीय अध्यक्ष :

कल मूल प्रश्न यह था कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार डावरी रेशट्रेन्ट बिल, १९४८ पर विचार हो । उसकेबाद यह संशोघन पेश हुआ कि उस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय । तो प्रश्न यह कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित डावरी रेसट्रेंट बिल, १९४८ को जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ; तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई :—

हां

१ श्री मुहम्मद अब्दुल गनी	२ श्री सैयद अमीन अहमद

ना

१ श्री मुरली मनोहर प्रसाद	२ श्री महावीर राम
३ माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंह	४ श्री मोसाहेब सिंह
५ श्री मुक्ति नाथ सिंह	६ सरदार हरिहर सिंह

७ श्री जगरनाथ सिंह
८ श्री शंकर नाथ
९ श्री नन्दकिशोर नारायण लाल
१० श्री रामबसावन राम
११ श्री गणेश प्रसाद साहु
१२ श्री शिवधारी पाण्डेय
१३ पंडित धनराज शर्मा
१४ श्री राधाकांत चौधरी
१५ श्री रामगुलाम चौधरी
१६ माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह
१७ डाक्टर रघुनन्दन प्रसाद
१८ श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु
१९ श्री भोला पासवान
२० श्री बरिआर हेमब्रोम
२१ श्री बृजलाल दोकानिआ
२२ श्री जयराम मुरमु
२३ माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय
२४ श्री खारा मांझी
२५ श्री मंगर धोबी
२६ श्री राजकिशोर सिंह
२७ श्री किशोरी मोहन उपाध्याय
२८ श्री सैयद मजहर इमाम
२९ श्री लतिफुर रहमान
३० श्री मंजूर हुसेन
३१ श्री सैयद बद्रुद्दीन अहमद
३२ श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर
३३ श्री मुहम्मद ताहिर
३४ श्रीमती सुन्दरी देवी
३५ श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह
३६ श्री तारानन्द सिंह
३७ श्री प्रभात चन्द्र बोस

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :

अभी प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार डावरी रेसट्रेंट बिल, १९४८, पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्षः

कार्य प्रणाली यह है कि किसी बिल के अन्य खंडों के स्वीकृत हो जाने के बाद खंड १ लिया जाता है, लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी धारणा कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक के खंड १ पर पहले विचार हो जाय और उसके बाद इसके अन्य खंड विचार के लिए लिये जायं। यह मैं इसलिये करना चाहता हूँ कि ऐसा करने से बिल पर सुविधा से विचार हो सकेगा। अतएव आज के लिए अपवाद मान कर और एक विशेष परिस्थिति में मैं उपयुक्त विचार सभा के सामने रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मेरा इस पर संशोधन है।

जनाब सदर, मैं move करता हूं कि clause I के sub-clause (4) में अल्फाज "In the first instance" हटा दिये जायं और उसके बाद अल्फाज "but the provincial Government may by notification direct that all or any of the provisions of this Act shall apply to members of any other community" भी हटा दिये जायं।

जनाब सदर, यह select committee ने यह बहुत बड़ी गलती की कि bill के scope के बाहर की एक चीज रख दी।

जिस वक्त यह bill उनके यहां गया उसमें साफ-साफ लिखा था—sub-clause 5 "The provisions of this Act shall not apply to Mohammdans, Parsis, Christians, and Jews"। Bill जिस वक्त इस house में आया था इसी principle के साथ।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। आपका यह संशोधन नहीं है कि "This Act shall not apply........।"

श्री सैयद अमीन अहमद

हम इन अल्फाजों को हटा देते हैं तो मतलब एक ही हो जाता है।

तो जनाब सदर, यह bill जब यहां इस house में, आया तो सिर्फ हिन्दू लोगों के लिये था और select committee में गया तो सिर्फ हिन्दू community के लिये था। select committee ने इस bill के scope को बढ़ा दिया जिसका उसको कोई power नहीं था। जब यह bill सिर्फ हिन्दू लोगों के लिए था उसमें लिखा था कि यह और लोगों के लिए नहीं है तो select committee को यह हक नहीं था कि इसके scope को wide करे।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। इस point of order को नहीं मानता।

श्री सैयद अमीन अहमद :

हम अपना opinion दे रहे हैं। हमने अभी तक नहीं कहा है कि यह point of order है। हम तो यह कह रहे हैं कि select committee को हक नहीं था।

माननीय अध्यक्ष :

हक था; क्योंकि जब यह कह रहे हैं कि "The provisions of this Act shall not apply"—तो हक था।

श्री सैयद अमीन अहमद :

shall not apply और shall apply दोनों का principle अगर एक है तो ठीक है।

खैर, जनाब सद्र इस पर मुझे वसूली एख़्तलाफ है। इस house में जब कहा गया.......

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। हाउस की कार्यवाही के बारें में आपको कुछ नहीं कहना है। आप अपने संशोधन के बारे में कहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद :

इस सूबे के ५० लाख मुसलमानों को इससे सरोकार है। इनके मजहब culture और personal law से इसको सरोकार है और किसी legislature को यह हक नहीं है कि मुसलमानों से पूछे वगैर, उनकी मर्जी के खिलाफ इस तरह का कानून उनके सर पर थोपने की कोशिश करे।

जनाब सदर, जिस बुराई का तजकीरा मेरे दोस्त ने किया है वह मुसलमानों में नहीं है। अखबारों को पढ़ा होगा आपने मगर इस बात को कभी नहीं पाया होगा कि मुसलमान लड़कियों ने खुदकुशी की इसलिए कि उनके parents के पास रुपया शादी के लिये नहीं था। यह हो ही नहीं सकता क्योंकि यह मुसलमानों के मजहबी concept के बिलकुल खिलाफ है। जिस वख्त bill लाया गया था उस समय कहा गया था कि ऐसी लड़कियां Hindu Society में हैं जिन्हों ने खुदकुशी की हैं।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इसके उपबन्ध (provision) नहीं लागू हों तो फिर हिन्दुओं की बात कैसे आ जाती है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

चूंकि Mrs. सुन्दरी देवी ने इस बिल को introduce करते हुए instance दिया था......।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। मैं आपके संशोधन के सम्बन्ध में इसको असंगत मानता हूँ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

तो मैं मुसलमानों की तरफ से कहता हूँ कि शिकायत ऐसी....।

माननीय अध्यक्ष :

आप एक बार कह चुके, फिर दुहरा क्यों रहे हैं?

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर यह Act के provision मुसलमानों पर Act करेगा तो क्या नतीजा होगा।

(1) clause 2 apply करेगा मुसलमानों पर जिसमें मेरे दोस्त हर con-

sideration को जो contract के लिये किया जायगा; marriage या betrothal का उसको dowry माना है और इसको लेना या देना जुल्म करार दिया है। मुसलमान marriage ही एक contract है। और बाज हालतों में वह contract खतम किया जा सकता है। बीबी को यह हक है कि बाज हालत में वह अलग हो सके और शौहर को भी यह हक है। यह contract है और उसी के consideration को यह illegal करार देते हैं।

मुसलमानों का marriage contract वगैर दैनमुहर के हो ही नहीं सकता। आगे चलकर मेरे दोस्त ने यह चीज रखी है कि dowry personal law के मुताविक अगर religions obligation होगा तो वह उसको छोड़ देंगे। मगर इसको define करना नामुमकिन है। इसलिये यह कानून मुसलमानों के लिए बना ही नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। ये सब बातें मौलवी मजहर इमाम साहब ने कही है, फिर दुहराने की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मजहर इमाम साहब भी Select Committee में थे और उनका कहना है कि मुसलमानों पर भी यह बिल लगाया जाय। उनका इस पर दस्तखस्त है इसलिये उनकी लिखी हुई चीज को मैं पक्का समझता हूं।

दूसरी चीज है तिलक-छेका, जिसको मुसलमान लोग जानते ही नहीं हैं।

तीसरी चीज दहेज है जो कहीं defined नहीं है। दहेज मेरे यहां उसको कहा जाता है जो लड़की को दिया जाता है। आपके यहां दहेज वह है जो लड़के को दिया जाता है। हमारे यहां marriage solemnise होने के पहले gift दिया जाता है जिसे आप कानून का शक्ल देना चाहते हैं। यह सवाल सिर्फ हाउस के मेम्बरों का ही नहीं है बल्कि मुसलमानों के मजहब और Culture के खिलाफ लायी जा रही है जिसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर मेरे दोस्त मुसलमानों की मजहब और Culture में interfere करना नहीं चाहते हैं तो मुनासिब यही है कि वे इस तरमीम को मान लें।

माननीय अध्यक्ष :

गनी साहब का एक संशोधन है वह भी इस सभा में अभी पेश हो जाना चाहिए।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी :

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "The provisions of this Act shall not apply to Muhammadans, Parsis, Christians and Jews" be restored.

माननीय अध्यक्ष :

प्रवर समिति (Select committee) द्वारा यथा प्रतिवेदित उपखंड(४)ज्यों का त्यों रहे, और उपखंड (५) को भी, जिसे प्रवर समिति ने निकाल दिया है, रखा जाय तो काम चल जाता है।

श्री महम्मद अब्दुल गनी :

मैं समझता हूं कि इस पर कुछ ज्यादे कहने की जरूरत नहीं है इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कबूल कर लिया जायगा।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर

जनाब स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि यह कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके लिये इस्लाम मजहब की दुहाई दी जाय लेकिन हमारे दोस्त अमीन साहब का मकसद हमेशा यही रहता है कि किसी कानून के असली शक्ल में मदद न करके उसको sabotage किया जाय। Dowry Raistraint Bill का मकसद है Dowry को रोकना। इस बिल का मकसद यह कभी नहीं है कि इस्लाम के असूलों पर किसी तरह का धक्का पहुँचावे। मेरे दोस्त अमीन साहब दावा रखते हैं कि वे ५० लाख मुसलमानों को represent करते हैं। उन्होंने दो बार हिन्दू culture और religion पर हमला किया है। एक बार तो उन्होंने कहा कि हिन्दू कोड बिल के जरिये इस्लाम का नकल किया जा रहा है और दूसरी बार उन्होंने यह कहा कि हिन्दू लड़कियां शादी न होने की वजह से, खुद कुशी कर लिया करती हैं। यह उनके लिये बिल्कुल जायज नहीं था। मैं अपने हिन्दू मेम्बरोंसे,यहांकी हिन्दू जनतासे अपीलकरना चाहता हूँकि वे यह नहीं समझें कि यह, एक मुसलमान का कहना है, बल्कि इस्लाम का यही कहना है कि किसी दूसरे मजहब पर किसी तरह का हमला न किया जाय, मगर अमीन साहब ने हमला किया है। मैं इस चीज को इसलिये कहना चाहता हूं कि, इस हाउस के हिन्दू मेम्बर, और बाहर की हिन्दू जनता यह न समझें कि किसी मुसलमान के नुमाइन्दे ने हिन्दू मजहब पर इस तरह का हमला किया है। हमलोगों को यह यकीन है कि इस्लाम सिर्फ १३०० वर्षों से नहीं है बल्कि जब से दुनियां है तब से ही यह है। सब मजहब का principle एक ही है। सिर्फ समय के हेरफेर के कारण कहीं कहीं कुछ रद्दोबदल हो गया है। मुरलीबाबू ने ठीक ही कहा है कि बहुत सी खराबियां कहीं कहीं समाज में आ गई हैं जिसको हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। हमारे दोस्त के ऐसे लोगों के कारण कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं जिनको सुधारने के लिये समय समय पर बुजुर्ग और सुधारक जन्म लेते हैं। यहां सभी मजहब सनातन है और principle में एक है। खामख्वाह इस बिल के जरिये जहर पैदा करना मुनासिब नहीं है। इस बिल के जरिये सारे मुल्क में इन्होंने जहर फैलाना चाहा है। और तमाम जनता को तबाह करना चाहते हैं। इसके सिवा और दूसरा कोई मकसद इनका नहीं है। उन्होंने Clause का

exception लिया है जिसमें लिखा हुआ है "Dowry means anything paid or delivered as consideration of a contract of any betrothat or marraige."

लेकिन हमारे दोस्त ने इसको समझा नहीं है और बगैर समझे मुखालफत कर दिया। ये section 2 (b) के personal law में है। हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं है या उन्होंने शायद कसदन धोखा देने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर शादी के कबल "दैन" उस वक्त दे या बाद में दे, ये मुसलमानों का फर्ज है। section 2 में dowry के definition से इस चीज को निकाल दिया गया है कि dowry कौन कौन चीज हिन्दू law या personal law में parties को दिया जायगा और कौन कौन चीज मजहबी नुक्ते नजर से देना जायज है। अगर इसके अलावे कोई दूसरी चीज दिया जायगा तो वो नाजायज होगा। मुहरदैन एक मजहबी चीज है, ये मुसलमानों के मजहब के वास्ते है।

माननीय अध्यक्ष :

शक और सुबहा को रफा करने के लिये मौलवी गनी साहब यह संशोधन लाये हैं।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर :

इन लोगों ने महज गलतफहमी को फैलाने की कोशिश की है। हम मि० अमीन अहमद साहब का जवाब देंगे और यह उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। श्रीमती सुन्दरी देवी को मुशतहक मुबारकबाद है कि उन्होंने इस तरह का reform करने का बिल इस हाउस में लाया है।

माननीय अध्यक्ष :

इसलिये जहरा अहमद ने अपनी रिपोर्ट में उनको मुबारकबाद दिया है।

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर :

अमीन अहमद साहब के फितरत में दाखिल है कि हर वो चीज जो इस हाउस में लोगों के फायदे के लिये लाई जाती है, बजाय मुबारकबाद देने के उसकी मुखालफत करते हैं। सिवा इसके कुछ नहीं है कि जैसे बिच्छू की तरह डंक मारा करते हैं। मि० लतीफुर रहमान और दूसरे दो एक मेम्बर जो यहां आये हैं वे वाकई गरीब मुसलमानों के नुमाइन्दे हैं। बाकी दूसरे मेम्बरान असली नुमाइन्दे नहीं कहे जा सकते हैं। हमारे दोस्त मानभूमि से जाहिल मुसलमानों के वोट लेकर यहां आये हैं। उनलोगों को सरासर धोखा देकर ये यहां आये हैं। असली मानी में ये उनके नुमाइन्दे नहीं हैं।

मैं हुजूर से यह कह रहा था कि मुसलमानों में दहेज देने का रिवाज नहीं है, मगर यह ठीक है कि यह रिवाजें मुसलमानों में अब फैल गया है। मुसलमान ज्यादेतर शादी के पहले लड़की के बाप या लड़की वालों से कहता है कि १०-२०-५० हजार रुपया दो तब शादी करेंगे। इन दिनों यह रिवाज बुरी तरह से फैली

जा रही है। अमीन अहमद साहब एक दौलतमन्द और जमीन्दार आदमी हैं और इन्हीं के किस्म के और भी हैं जो रुपया देकर शादी करते हैं। मगर गरीब मुसलमान बहुत परेशान हैं। उनको अपनी लड़की की शादी में बहुत ज्यादे दिक्कत होती है। बाज तो यह भी कहते हैं कि हमारे लड़के को B. A. या M. A. या लंडन भेजने का खर्चा दो, तब हम शादी करेंगे। ये सरासर इसलाम के खिलाफ है। आप को ये सुन कर ताज्जुब होगा, अगर हम ये बतायें कि हमारे हजरत रसूल, मकबूल, सल्लेएलैहे, वोआलही वसल्लम ने जब अपनी लड़की को शादी की थी तो कुछ छोहारे और दो चटाइयां दहेज में दी थी और इसी तरह खलीफा वगैरह और इसलाम के बड़े बड़े बुजुर्गान ने अपनी लड़कियों की शादी की है और दहेज में यही सब मामूली चीजें अपनी अपनी लड़कियों को दी है। इस तरह से simple तरीके से मुसलमानों में शादियां होती आई है। अब रिवाज कुछ ऐसा पकड़ता जा रहा है कि गरीब लड़कियों की शादी होना बहुत मुश्किल हो गया है। इस कानून के लाने से यहां के मुसलमान बहुत खुश हैं और मुसलमानों के हक में भी बेहतर होगा कि इस तरह का कानून जल्द से जल्द नाफीज हो। मैं कोई वजह नहीं समझता हूँ कि इस किस्म की तरमीम को कबूल किया जाय।

श्री लतीफुर रहमान :

जनाब अली, मुझे अफसोस है कि एक निहायत मुफीद measure, इस हाउस में निहायत तकलीफ देह बहस बन गयी है। जो चीज पहले बीत चुकी है उस पर वाद-विवाद या बहस करना ठीक नहीं है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मैं इसके मुत्तल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने जो संशोधन या तरमीम हमारे मौलवी गनी साहब ने पेश की उसके मुत्तल्लिक मैं जो कुछ कहूँगा, उसमें दो मिनट से ज्यादे समय न लगेगा। इस बिल को सेलेक्ट कमिटी में जाने के पहले, यह खबर नहीं थी कि यह चीज, जब कमिटी में जायगी तो इसका इत्तलाफ मुसलमानों पर भी होगा। हमारे भाई नूर साहब ने जो इसके मुत्तल्लिक बयान किया है वह कहा जाता है कि Govt.के तरफ से जवाब दिया है। उन्होंने इसमें गड़बड़ी पैदा कर दी है। इसलामी वसूल के बारे में जो बातें हुई है यकीनन मैं उनके साथ हूँ। मैं जानता हूं कि कितनी बुरी रसम मुसलमानों के अन्दर आ गयी है, मगर उसकी इसलाह इस बिल के जरिये से नहीं हो सकती है। क्योंकि इस बंधन से हमारी मजहबी चीज अलग है। इसलिये मैं Govt. से अपील करूंगा कि गनी साहब ने जो तजवीज पेश की है, अगर उसको मान लें तो यह शक जो आ गया वो भी दूर हो जाय। तथा हमारे सोसाइटी में जो खराबियां आगई हैं वे भी दूर हो जायं। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं कहूँगा कि मजहब के पर्दे में जो बुराइयां की जाती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिये, और जो ऐसा कर रहे हैं वे मजहब को बदनाम कर रहे हैं।

आखिर में, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि गनी साहब ने जैसा कहा है उसको कबूल कर लें और इस बिल को जल्द से जल्द पास करके लोगों को फायदा पहुँचावे। मैं तो इसके लिए श्रीमती सुन्दरी देवी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का समाज में सुधार करने का measure पेश किया है। आगे चल कर हम लोग भी इनके कदम के पीछे चलने की कोशिश करेंगे।

श्री मुहम्मद ताहिर :

जनाब सदर, इस सिलसिले में जो बातें हमारे दोस्त अमीन साहब ने कही है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हमारे तरफ अमीन साहब एक stuff हैं और दूसरी तरफ एक stuff नूर साहब हैं।

मैं इसे मानता हूँ कि यह बिल एक social reform है। लेकिन मेरा खयाल है कि इसमें, कुछ ऐसे provisions हैं जो मुसलमानों के मजहब के खिलाफ पड़ता है। अगर हमारे दोस्त फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यह समझते हैं कि मुसलमानों के मजहब के खिलाफ नहीं है तो मझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो चीज मुसलमानों के interest के खिलाफ पड़ेगा उसको वे कभी नहीं करेंगे।

अगर आप इसके different clauses को देखिए तो आप को मालूम होगा कि कहीं कहीं यह हम लोगों के मजहबी बातों से टकरा जाता है। Clause 4 में लिखा है कि in the first instance यह कानून सिर्फ हिन्दू, सिख और जैन पर लागू होगा। इससे साफ मालूम हो जाता है कि second instance में मुसलमानों पर भी लागू हो सकता है। Law का तो बहुत wide interpretation होता है। Clause 2 में लिखा है कि "dowry" means anything paid or delivered as consideration of a contract of marriage and includes *stridhan* or any other religious obligation enjoined by the personal law applicable to the parties.

जनाब सदर, law का दो हिस्सा होता है। Substantive portion of the law ही में असल चीज रहता है। Substantial portion में यह लिखा हुआ है कि "In this Act, unless there is anything repuguent in the subject or context, "dowry" means any thing paid or delivered as consideration of a contract of any betrothal or marriage and includes— यानी ये ये चीजें include करता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दैन मुहर पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिये। इसके अलावे और कुछ कहना नहीं है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

वह नहीं आता है।

श्री मुहम्मद ताहीर :

मैं समझता हूं कि गनी साहब का amendment मान लेने से कुछ शक

या शुबहा नहीं रहेगा। आप का और गनी साहब का कहना एक है तो उनका amendment मान लेने में आप को कोई उज्र नहीं होना चाहिए।

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (गया) :

यह non-official Bill है और इसलिए final reply श्रीमती सुन्दरी देवी की तरफ से होना चाहिये।

श्री सैयद अर्मान अहमद :

वगैर हमारे reply के गवर्नमेंट reply नहीं दे सकती है।

श्री सैयद मजहर इमाम :

जनाब सदर, मुझे यह सख्त अफसोस है कि इस मामूली चीज को लेकर इस House में सरगर्मी फैल गई। इसके साथ २ मैं अपने दोस्त से अपील करूंगा कि उन्हें इसका ख्याल करना चाहिये कि एक दूसरे के मजहब पर कोई भी इज-हार नहीं करना चाहिये तो बेहतर हो। ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिये जिससे लोगों के दिल में दूसरा मानी पैदा हो जाय। हम लोगों को यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि किसका मजहब अच्छा है या नहीं तो ज्यादा बेह-तर होगा

गनी साहब के Amendment को support करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि कुछ दोस्तों का ऐसा ख्याल है कि यह चीज apply कर सकता है और मेरा भी ऐसा ख्याल है। हुकूमत जब समझती है कि उनका ऐसा ख्याल नहीं है यानी यह चीज मुसलमानों पर apply नहीं करेगा तो आपको गनी साहब के amend-ment को मान लेने में क्या उज्र है? अगर आप इसको मान लेंगे तो कोई शुबहा पैदा नहीं होगी। इन अलफाजों के साथ मैं इस amendment को support करता हूं।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

मैं एक amendment sub-clause (4) में पेश करता हूँ। जहां आखिर लब्ज खतम होता है उसके बाद में अलफाज जोड़ दिये जायं "except the Muslim community" मैं समझता हूँ कि ये अलफाज जोड़ देने के बाद किसी के मन में किसी तरह की शंका नहीं रह जायगी। हलांकि यह बिल इस house के सामने अच्छे ख्याल से ही लाया गया था। लेकिन जब मैं देखता हूं कि Leader of the opposition और उनके साथी जिनके लिये हमारे दिल में कदर है, इससे उनके दिल पर हमला हो रहा है तो मैं उनके सन्देह को दूर कर देना चाहता हूँ। हालांकि मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम हम नहीं करना चाहते हैं जिससे Muslim community as a whole को नापसन्द हो। अमीन साहब बहस के सिलसिले में constitution के अलफाज को पढ़े हैं मगर मैं इसको irrelevant समझता हूँ क्योंकि मेरा intention ऐसा था ही नहीं कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे मुसलीम Community पर खतरा हो। हुकू-

मत का इरादा न ऐसा है और न हो सकता है। अगर मुझे पहले संशोधन पेश करने का oppórtunity दिये होते तो इस तरह की बहस की जरूरत नहीं होत तो और अपने ख्यालात का इजहार करके यह atmosphere पैदा नहीं होने देता। मैंने तो चाहा था कि earliest opportunity में ही इसको पेश कर दूं लेकिन बहस के दौरान में लोगों का ख्याल इस तरफ नहीं गया और न कोई मौका ही दिया जा सका। मैं इस amendment को पेश करता हूँ और मुझको विश्वास है कि मेरे दोस्त को इतमिनान हो जायगा। इसके बाद वे इस पर बहस न करें।

माननीय अध्यक्ष :

मुझे इस संशोधन को ले लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तीनों संशोधनों को सभा के सामने रखता हूँ। अब तो अमीन साहब के बोलने की कोई जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वही हुआ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मेरे दोस्त की तरफ से अभी जो बातें कही गई हैं कि हम earliest मौका की तलास में थे, जब मैं इस बात को पेश कर देता। इनको मौका मिला था और अपने पहले की तकरीर में अगर वे कह दिये होते तो इतनी बहस की जरूरत नही पड़ती। मैंने साफ २ address करके ये बातें आपको कही थी।

माननीय अध्यक्ष :

आप इस संशोधन को मानते हैं या नहीं ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

हमारे ऊपर जो इतने आक्षेप हुए हैं क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनको clear कर दूं।

माननीय अध्यक्ष :

यह बात छोड़िये, यह तो राय की बात है। इसके बारे में बहस करना क्या जरूरी है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

राय अपनी जगह पर है और वाक्या अपनी जगह पर है। हमने तो खड़ा होकर कहा था कि गवर्नमेंट अगर assurance दे दे तो हम अपने सारे मोशन को withdraw कर लेंगे। लेकिन उनके तो assurance नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष :

आप तो अपनी बात पर कायम हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

अगर House के अन्दर आपकी इजाजत से एक मेम्बर पर हजार किस्म का personal aspiration किया जाता है तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उन आक्षेपों का जवाब दूं। नूर साहब खड़े होकर क्या २ बातें कह गये जो उन्हें नहीं कहना चाहिये। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं House में यह ब्यान करूं कि वे बातें कहां तक सही या गलत है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमीन साहब मुसलमान नहीं हैं। उनके ऐसा मुसलमान मजहब को खराब कर देता है।

खैर। मुझे सब याद है कि आपने क्या कहा है।

जनाब सदर यह सही है कि उन्होंने अपने तरमीम के अलावे बहुत से personal matters का जिक्र छेड़ दिया था। आज खुशी की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री मौजूद थे और उनके सामने उनके benches से कैसा level of debates हो रहा था। जनाब सदर, उन्होंने कहा है कि अमीन साहब हिन्दू culture और religion पर धक्का मारते हैं। अजी जनाब, मैंने थोड़े ही यह कहा है। मैं तो मुरली बाबू का जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा था कि अमीन साहब आज से १२००० वर्ष पीछे जाना चाहते हैं और old society कायम करना चाहते हैं। मैंने इसी का जवाब दिया था। मैंने किसी पर हमला नहीं किया था। यह ठीक है और आपको जानना चाहिए कि जो चीज १२००० हजार वर्ष पहले बनी थी उसी को आज का modern world सही मान रहा है। इन सब बातों के ऊपर हमारे दोस्त अब जो रंग या रूप डाल कर लोगों को गलतफहमी में डाल दें।

माननीय अध्यक्ष :

आपने सफाई तो दे दी।

श्री सैयद अमीन अहमद :

सफाई अभी और देनी है। खैर वक्त कम है इसलिए सभी बातों का जवाब अभी नहीं दूंगा। हाँ जब मौका आवेगा तब नूर साहब को जबाब दूंगा। उन्हें याद रखना चाहिए। हमारे नूर साहब ने कहा है कि अमीन साहब sabotage करते हैं।

माननीय अध्यक्ष :

इस तरह की बहस न करें।

श्री सैयद अमीन अहमद :

यानी वे हम पर आक्षेप करें और हम जबाव न दें।

माननीय अध्यक्ष :

अपना उद्देश्य साफ कर दें।

श्री सैयद अमीन अहमद

जी हाँ, मैं clear कर देता हूं। हम sabotage नहीं करते हैं। हम कह रहे थे Christian, Jews, Parsi और Muhamadans के लिये यह कानून नहीं बना सकते हैं। इसमें तो sabotage की बात नहीं है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

मैं साफ कर देता हूँ कि बात क्या है ?

माननीय अध्यक्ष :

इस पर बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपनी नीयत साफ कर दी है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

खैर। जो कुछ नूर साहब ने कहा है उसे अभी छोड़ देता हूँ और अगले दिन कहूँगा। मेरे दोस्त ने तो एक amendment मुसलमानों के लिये दे दिया है। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।Better late than never अब सवाल यह है कि हमारे दोस्त Christian, Jewes या Parsi को क्यों छोड़ देते हैं। आप यह कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए देन मुहर religious obligations है। जनाब सदर, पर आपको जानना चाहिए कि कम से कम Christians में तो शादी के पहले marriage settlement हो जाता है। यही उन लोगों के society में है। शादी के पहले वे ठीक कर लेते हैं कि शौहर अपनी बीबी के लिये क्या क्या करेगा। यह हो सकता है कि शौहर कहे कि मैं अपने bank income का ५००० रुपया तुम्हारे नाम से bank में रख देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

यह बहस तो कर चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद

अब पारसी के..........

माननीय अध्यक्ष :

पारसी ईसाई ज्यू वगैरह के बारे में तो आप कह चुके हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद .

खैर। मैं amendment पर बोल रहा हूँ।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

तो आप amendment का विरोध कर रहे हैं। Christian, Jew या Parsi पर जो बोल रहे हैं, यह तो आपको मालूम होना चाहिए कि इ पर आप पहले ही बोल चुके हैं। फिर दुहराने की जरूरत क्या है ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

क्रिश्चियन......

माननीय अध्यक्ष :

आप तो इन सब पर बोल चुके हैं। दूसरी बातें कहें। कही हुई बातों को दोहरावें नहीं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

आज मैं अपने moral resposibility को और ज्यादा पाता हूँ जब इस House में इन तीन communities को represent करने के लिये लोग मौजूद नहीं हैं। मैं अपनी duty समझता हूँ कि कम से कम इन communities की तरफ से यह details रख दूं। शुरू में जो आपने दिया था कि यह चार communities को नहीं apply करे वह बहुत अच्छा था।

माननीय अध्यक्ष :

अब आपकी क्या राय है ? क्या आपकी तरमीम सभा के सामने रखी जाय ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

अगर हुकूमत .....।

माननीय अध्यक्ष :

शांति-शांति। आप अपनी तरमीम वापस नहीं लेते हैं, इसलिये प्रश्न यह है कि :

खंड १ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति के शब्द "In the first instance" और चौथी से आठवीं पंक्ति के शब्द "but the Provincial Government may, by notification, direct that all or any of the provisions of this act shall apply to members of any other community" हटा दिये जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

खंड १ के उपखंड ४ के अन्तमें शब्द "except the Muslim community" जोड़ दिये जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं यह तरमीम पेश करता हूँ कि clause 2 में लफ्ज "delivered" के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायं—

"To the bride-groom or any person related to or representing the bride-groom."

जनाब सदर इन अल्फाजों को जोड़ देने से मतलब बिलकुल साफ हो जायगा कि उन्हें रोकना नहीं चाहते हैं। और हमलोगों का यह मतलब नहीं है कि लड़की को भी कुछ नहीं मिले लड़के की तरफ से।

ऐसी हालत में कोई एतराज नहीं कर सकता है। इस पर न Jew, न Parsi, न मुसलमान कोई एतराज कर सकता है। इसलिये मेरी तरमीम बिलकुल जायज है और mover की भी मंशा यही है कि औरतों की मदद करें।

श्रीमती सुन्दरी देवी :

मैं इस संशोधन का विरोध करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

खंड २ में शब्द "delivered" के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायं--

"To the bride-groom or any person related to or representing the bride-groom."

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर मेरी तरमीम है कि clause 2 के item (ii) को हटा दिया जाय।

जनाब सदर इस item (ii) में दहेज including द्वारपूजा, मिलन, या जादराह यह चीजें दी गई हैं। इसके हटाने की वजह भी मेरी यही है कि general चीज बनाई जायगी जो apply करेगी Christians, Jews, Parsi, को भी। लेकिन जादराह और दहेज या लड़की के लिये जो समान दिया जाता है वह तो Jews, Parsis, Christians सभी के यहां दिया जाता है। तो जनाब सदर इस पर भी मेरा एतराज general है। अगर दहेज को define कर दिया जाय कि लड़के को दिया जाय तो मेरा कोई एतराज नहीं है। मगर इसको यहां पर define नहीं किया गया है। अगर इस तरमीम को mover साहिबा मान लें तो हमको कोई एतराज नहीं है' ददेज को define कर दें तो मैं अपने तरमीम को वापस ले लूंगा।

जादराह एक जायज खर्च है और इसको general principle of law के मुताबिक भी offence नहीं करार कर सकते हैं।

तीसरी चीज जो objectionable है वह '२५० रुपया' है। इसकी अहमीयत इस वक्त नहीं है और यह insignificant amount है। आप law बना दीजिये। शुरू में २–४ को सजा दे दीजिये मगर यह एक ऐसा कानून है जिसको लोग जरुर तोड़ेंगे। आप भी जरुरत पड़ने पर इसको जरुर तोड़ेंगे। ऐसा कानून बनाने का मतलब ही लोगों को कानून के लिए invite करना है। २५० रुपये से कुछ नहीं हो सकता है।

श्री मती सुन्दरी देवी :

मैं इसे मंजूर नहीं करती हूं।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

खंड २ का भाग (ii) हटा दिया जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

खंड २ भाग (ii) के उपभाग (c) की दूसरी सतर में शब्द "and' को हटा दिया जाय और और तीसरी सतर में शब्द "bridegroom" के बाद शब्द "and other customary gifts" जोड़े जायं।

Gift दो तरह के होते हैं— एक voluntary gift जो खुशी से दिया जाता है और दूसरा customary gift जो लड़की के बाप को देना ही होता है। बाज चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं चाहने पर भी as custom करना ही पड़ता है। इसमें voluntary का सवाल नहीं आता है। हर society में custom के मुताबिक बहुत सी चीजें करनी पड़ती है।

श्रीमती सुन्दरी देवी :

मैं मंजूर नहीं करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

खंड २ (ii) (c) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'and' को हटा दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "bridegroom" के बाद शब्द "and other customary gift" जोड़े जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

खंड तीन के शब्द "simple imprisionment which may extend to six months or with" हटा दिये जायं और अन्त में शब्द "or with both" हटा दिये जायं।

Simple imprisionment हट जाने से सिर्फ fine रह जाता है। मेरा कहना है कि सिर्फ जुर्माना होना चाहिये— कैद नहीं।

जनाब सदर, यह एक नया कानून बनने जा रहा है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसको custom के तौर पर करते आ रहे हैं और इसको lawful समझते हैं। तो अगर आप इसको जुर्म करार करते हैं तो आपको देखना होगा कि उसकी सजा क्या होनी चाहिये। आप शुरु में ही ६ महीने की कैद रख देते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और सिवा इससे hardship के और आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप एक नई चीज कायम करने जा रहे हैं तो शुरु में हल्की सजा रहनी चाहिये। जो custom की तरह चलता आ रहा है उसके लिये सजा देने ही से काम नहीं चलेगा। आपको तो ऐसा करना चाहिये जिसमें कि लोगों का दिमाग बदले। social reform सिर्फ कानून के जरिये नहीं होता है वह तो सिर्फ मदद के लिये रहता है। असल में तो Social reform करने के लिये लोगों के मिजाज और ख्यालात में तबदीली करना जरुरी है। अगर इसके लिए लोगों को जुर्म करार करते हैं तो हजारों आदमी इसके शिकार हो जायेंगे। इसमें कोई moral turpitude नही है। आपको इसके लिये time देना चाहिये और तब सब चीज आप से आप ठीक हो जायेगी। अगर आप मुकदमा भी करेंगे तो आपको गवाह नहीं मिलेगा क्योंकि both parties concerned एक दूसरे से intimately related रहते हैं इसलिए मुमकिन नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ गवाही दें।

मान लीजिये कि किसी ने, किसी के खिलाफ गवाही नहीं दिया तो क्या कीजिएगा। I. P. C. में bribery का section है, देने वाले और लेने वाले दोनों पर जुर्म आयद होता है, मगर देने वाला कहां कहता है कि हमने रिश्वत दिया। तो आप साबित कैसे कर सकते हैं कि फलाने ने bribery लिया। इस किस्म का जो कानून बनाते हैं तो इससे क्या फायदा होगा। क्या कोई बीबी अपने

शौहर के खिलाफ गवाही देगी और उसको जेल भिजवाने के लिये गवारा करेगी ? कोई शख्स अपने दामाद के खिलाफ नालिश करेगा और अपने दामाद को छः महीना जेल भेजने के लिये तैयार होगा। बीबी के "वालदैन" पर आप fine करने का दफा रखते हैं तो क्या आपको कोई गवाही देने वाला मिलेगा कि इन्होंने अपने दामाद को इतना रुपया दिया ? इसमें सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि अगर किसी ने १० हजार रुपया dowry दिया तो उस रुपये को आप जुर्माना करके ले लेते हैं। उसमें लिखते हैं कि इतने दिनों का जेल हुआ और इतना जुर्माना हुआ। अगर वे जुर्माना न अदा करें तो इतना दिन और जेल जाना होगा। आप कहते हैं कि औरतों को भी सजा होगी और उस लड़के को भी सजा हो सकती है, जिस लड़के की शादी हो रही है। अगर कोई चीज ले ले या उस लड़की की मां ने gift दिया, जो २५१ रु० से ज्यादा का है तो उसकी सजा हो सकती है। आप यहां की लड़कियों की हालत से खूब वाकिफ हैं। वे कभी नहीं गवारा कर सकती हैं कि उसकी गवाही पर शौहर जेल जाय।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल :

क्या उस लड़के को जिसकी शादी हो रही है, सजा हो जायगी यह कहां से लाये ?

श्री सैयद अमीन अहमद :

यह मान clause २ से निकलता है कि कोई चीज दी जाय या ली जाय; लेने वाला, देने वाला शौहर हो या बीबी हो दोनों मुजरिम हैं।

माननीय अध्यक्ष :

सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट में जो खंड ५ है उसमें लिखा हुआ है।

The proviso to this clause exempting women from in-prisionment was also omitted, because in the matter of giving dowry also women are no less offenders than man.

श्री सैयद अमीन अहमद :

clause २ में आता है। इसलिये जनाब सदर, लड़के तक को जिसकी शादी हुई है उसको छः महीने की सजा होगी। गोया इस तरह से उसकी future life ruin हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष :

तो आप खंड ४ के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जी हां, जनाब सदर, यह कितनी कठिन चीज है, औरतों का भी इससे सरो-कार है। ऐसे ऐसे लोग भी जेल खाने जायेंगे, अगर किसी ने चोरी-चोरी भी gift दिया यानी २५१ रु० से ज्यादा दिया तो ये नामुनासिब बात है। आपको

मालूम होना चाहिये कि हिन्दुस्तान में औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो पढ़ी लिखी हैं वे भी ज्यादातर घर ही के अन्दर रहती हैं। आपके penal codeसे कम वाकियत रखती हैं। उनको भी इस कानूनका शिकार बनाइएगा तो नामुनासिब बात होगी। कोई शख्स औरतों के खिलाफ गवाही नहीं देगा, कोई शख्स शरीफ औरतों को जेल भिजवाना नहीं चाहेगा। मैं कहता हूँ कि third party भी उनके खिलाफ नहीं देगा। इस वजह से fine रहने दिया जाय। इसको public opinion के लिये भेजा जाय।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि:

खंड ३ में शब्द " simple imprisionment which may extend to six months or with" हटा दिये जायं, और इस खंड के अन्त में शब्द " or with both" हटा दिये जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

" खंड ३ इस विधेयक का अंग बना।"

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड ४ इस विधेयक का अंग बने।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मेरा amendment clause 4, पर है।

माननीन अध्यक्ष :

वह तो नियमानुकूल नहीं (out of order) है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

तब मैं पूरे क्लाज को oppose करूंगा। इस बिल के अन्दर amendment के लिए भी इसमें सजा दी गयी है। अगर किसी तरह कोई आदमी ऐसे शादी-विवाह में शरीक हो जाय तो वह भी prosecute किया जायेगा और उसकी भी वही सजा होगी जो सजा तिलक लेने वालों और देने वालों की होगी।

माननीय अध्यक्ष:

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "खंड ४ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

".खंड ४ इस विधेयक का अंग बना।"

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "खंड ५ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड ५ इस विधेयक का अंग बना।"

माननीय अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित खंड ६ इस विधेयक का अंग बने।

श्री सैयद अमीन अहमद :

मेरी इस पर तरमीम है। जनाब सद्र, कानून यह है कि जब कोई complain मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसका cognizance लेता है और उसके बाद चाहे तो उसको parties को summon करता और show cause नोटिश देगा या इन्क्वायरी के लिए order पास करेगा। लेकिन clause 6 में जो provision रखा है वह बिलकुल उल्टा है। ये कहते हैं कि पहले मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करेगा तब cognizance लेगा। मेरा ख्याल है कि अगर इसमें तरमीम नहीं किया जायेगा तो किसी का भी prosecution नहीं होगा और सभी हाई कोर्ट से छोड़ दिए जाएंगे। मेरी तरमीम बिलकुल सही है।

माननीय अध्यक्ष :

आपने तो "cognizance" की जगह पर "initiate" का शब्द रखा है लेकिन मतलब दोनों का एक ही है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

जी नहीं, जिस वक्त complaint file किया गया उसी वक्त cognizance हो गया। अब proceedings intiate करने की बात है।

हम कहते हैं कि notice to show cause कर देने के पहले ही cognizance ले लेना compulsory, esseniial और inevitable है इसलिए यह clause जो आपके सामने है वह बिलकुल useless है। अगर यही कानून बन गया तो यह बिलकुल बेकार होगा। इसलिए मैं हुकूमत के साथ enlightened co operation करना चाहता हूँ। इसलिए हम move करना चाहते हैं कि clause 6 के बदले यह रखा जाय :

"6. No Magistrate shall initiate proceedings for the trial of any person under this Act without giving him any opportunity to show cause as to why he should not be prosecuted and hearing him if the such person so desire."

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल :

अमीन साहब जो चाहते हैं वह इसमें clear है इसलिए उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष :

दिक्कत यह है कि बिना cognizance लिए notice to show cause कैसे जारी हो सकती है। उनका कहना यह है कि notice to show cause किस हैसियत से मैजिस्ट्रेट जारी करेगा।

श्री नन्दकिशोरनारायण लाल :

जैसे complain हुआ उसपर magistrate cognizance लेकर नोटिश देगा to show cause का

माननीय अध्यक्ष :

जब तक नोटिश नहीं देगा तबतक cognizance नहीं ले सकता है।

श्री जगन्नाथ सिंह :

प्रवर समिति में इसपर यही विचार हुआ था और यह ठीक किया गया कि investigation में जब लोगों को बुलाया जायगा उसी को नोटिस समझा जायगा to show cause.

माननीय अध्यक्ष :

संशोधन में है कि "No magistrate shall initiate pr oceedinges.. without giving him any opportunity to show cause...." तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस capacity में वह नोटिश जारी करेगा।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल :

जैसे complain हुआ वैसे ही नोटिस दिया गया-समझाया जायगा।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

यहां तो cognizable offence का सवाल नहीं है। यहां cognizance लेने का माने सिर्फ यह है कि जिस समय complaint होगा उस वख्त case नहीं start करके उसको मौका दिया जायगा।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी :

law का यह एक निहायत इन्तहाई चीज है कि a magistrate is not empowered to see any complain unless he takes cognizance of the offence the moment a complaint is filed before a magistrate he receives it and take cognizance whether the oftfence is cognizable or non-congnizable only police officer have Jurisdiction in not cognizable offence. If you want detail I can quote from the criminal procedure code.

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर मुझको हैरत होती है कि हमारे डा० अनुग्रह नारायण सिंह जिनके बारे में मालूम हुआ कि वे वकील थे, cognizable or non--cognizable offence का difference नहीं जानते हैं। cognizable offence उसको कहते हैं जिसमें police बगैर warrant के arrest नहीं कर सकता है। non-cognizable उसको कहते हैं जिसमें पुलिस को cognizance लेने की जरूरत नहीं। यहाँ cognizable offence का कोई तजिकिरा नहीं है। सिर्फ cognizance का तजिकिरा है। आप section 191 Cr. P. C. को पढ़ कर देखें कि cognizance का माने क्या है ?

तो जनाब सदर, cognizable का मानी यह है कि taking notice of the commission of the offence। अगर cognizable नहीं है तो show cause की notice देना पहले जरूरी है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर

जनाब सदर...

श्री सैयद अमीन अहमद :

आप नहीं कह सकते हैं। मैं खड़ा हूँ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

मेरा point of order है।

श्री सैयद अमीन अहमद :

हां; तो कहिए।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

मेरा amendment......

श्री सैयद अमीन अहमद :

आप back door से नहीं आ सकते हैं। आप request करें मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर

जनाब सदर, non-cognizable, cognizable और take cognizence में कुछ गलतफहमी हो रही है। इसलिये clause (6) में मेरा amendment यह है : No court shall proceed with a compliant under this Act unless it gives the accused a chance to show cause why he should not be prosecuted under this Act.

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर, मैं protest करता हूँ कि वे मेरे amendment को steal कर रहे हैं। मैं आपका इसके लिए protection चाहता हूँ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

जनाब सदर, तो मैं अपना amendment इसलिये ला रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई शख्स दुश्मनी से किसी को फंसा दे और उसे punishment हो जाय। इसलिये उसको बचाने के लिये ताकि वह अपना सफाइ पेश करे, यह amendment लाया गया है।

श्री सैयद अमीन अहमद

जनाब सदर, मेरा कहना है कि दो indentical motion assembly rule के अनुसार नहीं पेश हो सकता है। मेरा amendment पहले है। इसलिये नूर साहब का amendment नहीं आ सकता है। मैं rule पढ़ देता हूँ:—

When substantially identical motions stands in the name of two or more Members, the speaker shall, save as otherwise provided in these rules, decide which motion shall be moved, any when such motions is moved,the other motion or motions shall deemed to have been withdrawn. (आवाजें move होगा, move होगा।)

श्री सैयद अमीन अहमद :

जनाब सदर जो Amendment पीछे आया हो वह पहले रख दिया जाता है। सबसे पहले तो मेरा होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष :

मैं गवर्नमेंट के संशोधन को पहले रखता हूँ और आपके संशोधन को तो मान ही लिया गया है, इसलिए उसे रखने की क्या जरूरत है।

श्री सैयद अमीन अहमद

मैं दिखलाना चाहता हूँ कि मेरा enlightened co-operation है।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि :
खण्ड ६ के बदले निम्न खण्ड रखा जाय :—

6. " No court shall proceed with a complaint under this Act unless it gives the accused a chance to show cause why he should not be prosecuted under this Act"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

क्या मेरी तरमीम नहीं रखी जायेगी ?

माननीय अध्यक्ष :

जब एक खंड को बदल कर दूसरा खंड रखने की तरमीम मंजूर हो गई तो

फिर उसी तरह की दूसरी तरमीम, नहीं रखी जा सकती।

श्री सैयद अमीन अहमद :

तो बेहतर है कि इस तरह का Amendment हम नहीं पेश करें ।

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति, शान्ति। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना विधेयक का अंग बनी।

माननीय अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्रीमती सुन्दरी देवी :

मैं प्रस्ताव करती हूं कि—यह विधेयक स्वीकृत हो।

श्री सैयद अमीन अहमद :

बोलने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूँ कि clause 6 को जो आप पास करवा लिया उसको council में Amend करा लीजिये। आपने कह दिया कि "No court shall proceed with complaint" तो Magistrate के दायरे को महदूद कर दिया, जब तक complaint आवेगा नहीं उस वक्त तक वह कुछ नहीं कर सकता है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर :

कर सकता है, खबर रहने से ही।

श्री सैयद अमीन अहमद :

ताज्जुब मालूम होता है कि कि हमारे श्री बाबू मौजूद हैं और इस किस्म की बातें की जाती हैं। complaint और information में गोया कोई फर्क नहीं है।

complaint पर भी Magistrate cognisance ले सकताहै और Section 190 (c) के information पर भी cognisance ले सकता है। अगर श्रीबाबू कहें कि कानून की बातें न की जायं तो इसको हम मानने के लिए तैयार हैं। मगर जो शख्स कानून जानता नहीं और मुखतारकारी करते करते जिदंगी गुजारा उसे यह बातें करनी बेकार है। खैर, जनाब सदर Sec. 190 (c) मेरे पास मौजूद है और मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं ।

190 (a) यह है—upon receiving a complaint of facts which constitute such offence;

(b) upon a report in writing of such facts made by any police officer; (c) upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge or suspicion that such offence has been committed. जो अभी clause पास किया गया है उनका तो मतलब यही है कि जब तक उसके पास complaint न होगा वह कुछ नहीं कर सकता है । Cognisable और non-cognisable की बात बेकार इसमें लगा देते हैं ।

माननीय अध्यक्ष :

तब तो जो उनका संशोधन था, वह आपके संशोधन से भिन्न था।

श्री सैयद अमीन अहमद :

था, लेकिन इस Act के Purpose को defeat करने वाला नहीं था और सिर्फ Prejudice की वजह से मेरे Amendment को नहीं माना गया। मैं फिर भी कहूँगा कि council में legal advice लेकर इसको Amend कीजिये, नहीं तो Magistrate के हाथ को आपने बांध दिया और complaint देने वाले बहुत कम आदमी होंगे। हमको तकलीफ यह होती है कि Law points में भी इस तरह के एतराजात किये जाते हैं। क्योंकि यह तो कानून की और court की Procedure की बात है। इसमें इस तरह के गुफ्तगू की गुंजाइश कहां हो सकती है।

श्रीमती सुन्दरी देवी

अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के पास हो जाने से जो खुशी हमारे समाज को विशेषतया हमारे महिला समाज को हुई है वह किन शब्दों में वर्णन किया जाय। हमारे समाज में दहेज प्रथा के कारण लड़कियों का जन्म लेना एक भार सा समझा जाता था। जन्म के बाद ही उनके गरीब माँ बाप को कहीं से तिलक और दहेज का इंतजाम करना पड़ता था। मुझे विश्वास है कि इसबिल के पास हो जाने से न केवल महिलाओं का असीमित कल्याण होगा वरन हिन्दू समाज का एक काला धब्बा मिट जायेगा। हालाँकि कि हमारे लायक मेम्बर मौलवी अमीन अहमद ने तो इसका मतलब उल्टा ही लगाया है। जैसी उनकी हमेशा की आदत है।

सच पूछिये तो इस बिल के पास होने से महिलाओं का महान कल्याण हुआ है। यह तो वे ही जान सकती हैं जिनके लिये यह बिल पास हुआ है।

इस बिल के पास होने से महिलायें, जो समाज की कोढ़ समझी जाती थीं आज मनुष्य की गिनती में आ जायेंगी और समाज में उनका उचित सम्मान एवं सत्कार होगा। मैं इस हाउस को धन्यवाद देती हूँ जिसने सबसे पहले इस बिल को पेश करने दिया और इसको आज ही पास कराया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने महिलाओं के इस कल्याणकारी बिल के उपस्थित करने को स्वीकृति दी इसके बाद मैं अपने लीडर एवं डिप्टी लीडर को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बिल को लाने की आज्ञा देकर और स्वयं बैठ कर इसके पास होने में योगदान दिया।

तत्पश्चात् मैं Leader of the opposition को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने वोट द्वारा दिखा दिया कि यह बिल महिलाओं के कल्याण के लिए है, और आज शायद यह पहला मौका है कि opposition के प्रायः सभी सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी के साथ होकर मतदान दिया। उसके बाद मैं अपने पार्टी के मेंबरों को तहे दिल से शुक्रियादा करती हूँ जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान कर हमारा यह बिल पास कराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने इस बिल को पास कराया और मैं समझती हूँ कि इसकी बदौलत महिलायें अपने नैतिक पतन से बच सकेंगी।

माननीय अध्यक्ष:

प्रश्न यह है कि इस सभा द्वारा यथा संशोधित दि बिहार डावरी रेस्ट्रेन्ट बिल १९४८ स्वीकृत हो।

गैर सरकारी संकल्प : Non-official resolution

गंडक योजना

GANDAK RIVER SCHEME

The Hon'ble the SPEAKER : The rule runs as follows:—

All business appointed for any day and not disposed of on that day shall stand over until the next day of the session available for business of the class to which it belongs, but private members' business so standing over shall have no priority on such day unless it has been commenced, in which case it shall only have priority over private members' business fixed for that day.